न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास– अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 180/2024
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2024/217

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्योलय, नागौर		1. श्री नरेश भाटी पुत्र श्री रामकिशोर भाटी निवासी ताउसर तहसील व जिला नागौर स्थान चेनार रोड पंचमुखी बालाजी मंदिर भाटी फलोर मील के सामने नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 ओर से वकील श्री हरिराम खाड़िया उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 21.01.2025

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर, एकरिफिलिंग इलेक्ट्रोनिक मोटर मय 02 नोजल व एक 5 फूट लम्बा व दूसरा 10 फीट लम्बापाईप को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री हरिराम खाड़िया उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र को जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि हस्तगत प्रकरण से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं हैं तथा न ही प्रार्थना–पत्र में दर्ज कथित परिसर चेनार रोड़ पर पंचमुखी बालाजी मन्दिर भाटी फ्लोर मिल के सामने बने नौहरे से मुझ अप्रार्थी का कोई सरोकार हैं। जबाब प्रार्थना–पत्र में यह भी प्रकट किया हैं कि कथित कोई सिलेण्डर जब्त करना बताया गया हैं तो वे न तो उक्त परिसर से बरामद हुऐ हैं न अप्रार्थी के कब्जे से कोई बरामदगी हुई हैं न अप्रार्थी का इन से कोई सरोकार ही हैं। इसलिए प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व खारिज फरमाया जावें।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत नागौर शहर एवं आसपास क्षेत्र में डॉ. निकिता राठौड जिला रसद अधिकारी, नागौर के नेतृत्व में श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.09.2024 को चेनार रोड, पंचमुखी बालाजी मंदिर भाटी फ्लोर मिल के सामने आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री नरेश भाटी पुत्र श्री रामकिशोर भाटी निवासी ताउसर उपस्थित मिलें जो एक किराये के नोहरे मे एक दुकान में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग का कार्य करता है। श्री नरेश भाटी ने बताया कि वह लगभग दो वर्ष से किराये की इस दुकान मे घरेलू गैस सिलेण्डरों से एलपीजी गाडियों मे रिफिलिंग मोटर से भरता है। मौके पर कुल 09 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक रिफिलिंग इलेक्ट्रोनिक मोटर मय 02 नोजल व एक 5 फूट लम्बा व दूसरा 10 फीट लम्बा पाईप पाया गया। श्री नरेश भाटी से घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री नरेश भाटी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही करने पर भण्डारित 09 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक रिफिलिंग इलेक्ट्रोनिक मोटर मय 02 नोजल व एक 5 फूट लम्बा व दूसरा 10 फीट लम्बा पाईप को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:–

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1	एचपीसीएल	269098-T	0
2	एचपीसीएल	285719-S	0
3	एचपीसीएल	75280-T	0
4	एचपीसीएल	455005-P	14.2 किग्रा
5	एचपीसीएल	598831-S	14.2 किग्रा
6	एचपीसीएल	82527	14.2 किग्रा
7	एचपीसीएल	070359-P	14.2 किग्रा
8	एचपीसीएल	712885-P	14.2 किग्रा
9	एचपीसीएल	397269-P	14.2 किग्रा

उपरोक्त 09 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक रिफिलिंग इलेक्ट्रोनिक मोटर मय 02 नोजल वएक 5 फूट लम्बा व दूसरा 10 फीट लम्बा पाईप को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मेसर्स गहलोत गैस नागौर के प्रतिनिधि श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री सुलेमान की सुपुर्दगी में दिये गये। है। इस प्रकार श्री नरेश भाटी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफसप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंनहैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण मे जब्तसुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर, एकरिफिलिंग इलेक्ट्रोनिक मोटर मय 02 नोजल व एक 5 फूट लम्बा व दूसरा 10 फीट लम्बापाईप को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation)के आदेश प्रदान किया जावें।

3. वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस जबाब प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे मुख्य रूप से यह कथन किया कि बरामद की गई सामग्री से अप्रार्थी का कोई लेना–देना नहीं हैं। रसद विभाग की टीम के समय अप्रार्थी अपने खाने के गेहूँ पीसाने के लिए गया हुआ था,इसलिए उससे रूटिन की जॉच होने बताया गया तथा अप्रार्थी के हस्ताक्षर लिऐ गये हैं। जबकि अप्रार्थी न तो किसी प्रकार का अवैध गैस भडारण करता हैं एवं न ही वितरण करता हैं। प्रार्थी द्वारा केवल टारगेट पुरा करने के लिए इस प्रकार की यह गलत कार्यवाही की गई हैं। जबकि अप्रार्थी से इस प्रकार की कोई जब्ती नहीं हुई हैं। अप्रार्थी इस कार्यवाही से बदनाम हो रहा हैं। इसलिए निवेदन हैं कि अप्रार्थी के विरूद्व की गई यह कार्यवाही खारिज की जावें।

4. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जबाब पेश जब्त सुदा सामग्री उनकी नहीं होना एवं केवल रूटिन जॉच होना बताकर हस्ताक्षर करवाये जाना प्रकट किया हैं,जो मानने योग्य नहीं हैं। क्योंकि फर्द जब्त पर अप्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर हैं। अप्रार्थी स्वयं जब्त सुदा सामग्री उनकी नहीं होना जाहिर कर चुका हैं। तथा अप्रार्थी के पास घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र भी नहीं हैं। इसलिए जब्त सामग्री राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र का स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जब्तसुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर, एकरिफिलिंग इलेक्ट्रोनिक मोटर मय 02 नोजल व एक 5 फूट लम्बा व दूसरा 10 फीट लम्बापाईप को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscate)किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त जब्त सुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन एवं अन्य जब्त सुदा सामग्री का जरिऐ निलामी निस्तारण करने का जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्देश जाता हैं। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती हैं। जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर

कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)